



कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची-834002, Phone-0651-2481909 (O) / 2480413 (F), e-mail-pecfjharkhand@yahoo.co.in

पत्रांक: 5बी0स्था0व्य0/वनकुप-09(2017-18) 862

दिनांक: 28.2.18

प्रेषक:

संजय कुमार, भा0व0से0,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
सिंहभूम, जमशेदपुर।

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना व्यय (विस्तृत), मांग संख्या-19, मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, 01-वानिकी, 101-वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण "03- वन कुपों की स्थापना" उपशीर्ष के विभिन्न इकाईयों में राशि की आवंटन के संबंध में।

प्रसंग:- योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड सरकार का पत्रांक-29/ बी0टी0ई0-12/2016-17 / 113/बजट राँची, दिनांक 27.02.2017।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रासंगिक पत्र से राशि व्यय करने की प्राप्त अनुमति के आलोक में "03- वन कुपों की स्थापना" उपशीर्ष के विभिन्न इकाईयों में कुल रू0 2.44 लाख रू0 की अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

1. यह आवंटन योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड सरकार राँची के पत्रांक-29/ बी0टी0ई0-12/2016-17 / 113/बजट राँची, दिनांक 27.02.2017 तथा बिहार सरकार, वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या-एम0-4-05/98 2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जाता है।
2. रोकड़ प्रवाह (कैश फ्लो) के संबंध में वित्त विभागीय पत्रांक वित्त 4-23/2003/ 1800 दिनांक 15.07.2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. आवंटन पत्र में अंकित विपत्र कोड के अनुसार ही लेखा संधारण किया जाय।
4. 03-मजदूरी इकाई में आवंटित राशि जिन कुपों में संभव हो वहां Thining singling का कार्य कराये जाने हेतु है।

आवंटन आदेश पत्र संख्या-BJAEFC/03-17-18/14EFC की मूल प्रति अत्र-सह-संलग्न है।
अनु०- यथो०।

विश्वासभाजन,

२८/५/१६

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, राँची।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Forest, Environment and Climate Change Department

पात्र वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - BJAFC/03-17-18/14EFC

दिनांक - 28-Feb-18

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101030103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 03 - वन कृषि की स्थापना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	101289	JSRFOR114 SRI.VISHWANATH SHAH (I.F.S) R.C.C.F.JSR.	50,000.00 रुपये पचास हजार
2	S 19 240601101030323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 03 - वन कृषि की स्थापना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	101291	JSRFOR114 SRI.VISHWANATH SHAH (I.F.S) R.C.C.F.JSR.	100,000.00 रुपये एक लाख
3	S 19 240601101030333 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 03 - वन कृषि की स्थापना 03 - प्रशासनिक व्यय 33 - दूरभाष Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	101292	JSRFOR114 SRI.VISHWANATH SHAH (I.F.S) R.C.C.F.JSR.	69,000.00 रुपये उनहत्तर हजार

219,000.00

रुपये दो लाख उन्नीस हजार

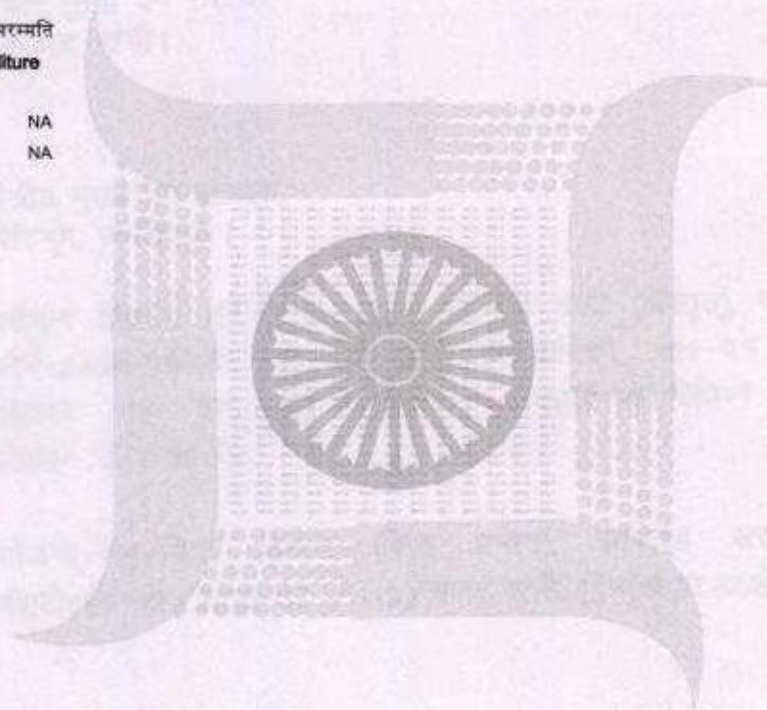
(SANJAY KUMAR)

PCCF, JHARKHAND, RANCHI

Principal Chief Conservator of Forests,
Jharkhand, Ranchi

Run Date: 28/2/2018

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601101030442 2406 - शानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - शानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 03 - वन कृषि की स्थापना 04 - मोटरगाड़ियां / ईंधन 42 - मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मत Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	101293	JSRFOR114 SRI.VISHWANATH SHAH (I.F.S) R.C.C.F.JSR.	25,000.00 रुपये पच्चीस हजार



योग:

25,000.00

क्रमिक योग:

रुपये दो लाख चवालीस हजार

244,000.00

(SANJAY KUMAR)

PCCF, JHARKHAND, RANCHI

Principal Chief Conservator of Forests
Jharkhand, Ranchi